

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 305]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2017—आषाढ़ 9, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
अधिसूचना

क्रमांक एफ ए 3-26/2017/1/पांच (52)

भोपाल, दिनांक 30/06/2017

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, जुलाई, 2017 के प्रथम दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 6 से 9, 11 से 21, 31 से 50, 53 से 138, 140 से 145, 147 से 163, 165 से 174 तक के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

क्रमांक एफ ए 3-26 /2017/1/पांच

भोपाल, दिनांक 30/06/2017

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-26 /2017/1/पांच (52), दिनांक 30 जून, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

NOTIFICATION

No. FA 3-26/2017/1/FIVE(52)

Bhopal, Dated: 30/06/2017

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, hereby appoints the 1st day of July, 2017, as the date on which the provisions of sections 6 to 9, 11 to 21, 31 to 50, 53 to 138, 140 to 145, 147 to 163, 165 to 174 of the said Act, shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.